रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122024-259344 CG-DL-E-11122024-259344

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4964]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2024/अग्रहायण 20, 1946

No. 4964]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2024/AGRAHAYANA 20, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2024

का. आ. 5363(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है, नाभिकीय ईंधन और संघटक, भारी जल और संबद्ध रसायन तथा परमाणु ऊर्जा का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले औद्योगिक स्थापनों की सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 28 के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया जाना चाहिए;

और, केन्द्रीय सरकार ने श्रम और रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2230(अ), तारीख 11 जून, 2024 द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 जून, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग को लोक उपयोगिता सेवा की प्रास्थिति छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है:

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नाभिकीय ईंधन और संघटक, भारी जल और संबद्ध रसायन तथा परमाणु ऊर्जा का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले औद्योगिक स्थापनों की सेवाओं को 28 दिसंबर 2024 से छह महीने की और अविध के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/3/97-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

8038 GI/2024 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2024

S.O. 5363(E).—WHEREAS the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the Industry engaged in the Industrial establishments manufacturing or producing Nuclear Fuel and components, Heavy Water and Allied Chemicals and Atomic Energy, which are covered under item 28 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 28th June, 2024, vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2230(E), dated the 11th June, 2024;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the industry engaged in the Industrial establishments manufacturing or producing Nuclear Fuel and components, Heavy Water and Allied Chemicals and Atomic Energy to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 28th December, 2024.

[F. No. S-11017/3 /97- IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.